

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं 60/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि.....(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 83 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“83 क. माल और सेवाकर व्यवसायियों की परीक्षा-(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिनका संदर्भ नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में हैं और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
(2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “अकादमी” कहा गया है) परीक्षा का संचालन करेगी।
(3) परीक्षा की बारंबारता - परीक्षा, बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय की शासकीय वेबसाइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में अकादमी द्वारा प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जाएगी।
(4) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का संदाय -(i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्टर करेगा।
(ii) कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, अकादमी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का संदाय करेगा और इसकी रकम तथा इसके संदाय की रीति बोर्ड, अकादमी तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
(5) परीक्षा केन्द्र - परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय अकादमी द्वारा यथा प्रदत्त केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा।

(6) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या –(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधनानुसार माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परंतु यदि किसी व्यक्ति को 1जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितनी बार भी प्रयास कर सकेगा किंतु यह प्रयास खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे ।

(iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का संदाय करना होगा ।

(iv) यदि माल और सेवाकर व्यवसायी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ जैसे कि गंभीर रोग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उसे उक्त परीक्षा के आयोजन से पंद्रह दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और प्रयत्न करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकेगा । अकादमी, अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकेगा ।

(7) परीक्षा की प्रकृति- परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी । इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा । प्रतिमान और पाठ्यक्रम अनुलग्नक-क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

(8) अर्हता अंक- किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

(9) अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश – (i) अकादमी परीक्षा मार्गनिर्देश जारी करेगी जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का संदाय, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे ।

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, को उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार निपटारा जाएगा । किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार है:-

(क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;

(ख) प्रतिरूपण करना;

(ग) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना;

- (ड) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना जिसके परीक्षा केन्द्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा न हो;
- (च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटरों, पर्चों, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) आदि का आदान प्रदान करना;
- (छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;
- (ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गडबड करना; और
- (झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, यथास्थिति, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करना ।

(10) अनुचित साधनों या प्रथाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का निरर्हित होना- यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग में लिप्त है या पाया गया है, अकादमी उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरर्हित घोषित कर सकेगी ।

(11) परिणाम की घोषणा - अकादमी परीक्षा के संचालन के एक माह के भीतर बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कर विभाग, यदि कोई है, की प्राधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम की घोषणा करेगी ।

(12) अभ्यावेदनों पर कार्रवाई - ऐसा व्यक्ति जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अकादमी या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की प्राधिकृत वेबसाइटों पर अकादमी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदित कर सकेगा ।

(13) शिथिल करने की शक्ति - जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके परिषद् की सिफारिशों पर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा।

व्याख्या :- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(क) “अधिकारिता रखने वाला आयुक्त” से ऐसा आयुक्त अभिप्रेत है जो जीएसटी पीसीटी-1 प्ररूप में जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान पर अधिकारिता रखता है । आयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्त को यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को पीसीटी-1 प्ररूप में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है, या राज्य कर आयुक्त को यदि पीसीटी-1 प्ररूप में नामांकन करने वाले प्राधिकारी का राज्य के रूप में चयन किया गया है ।

(ख) अकादमी से अधिसूचना संख्यांक 24/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 28.5.2018 द्वारा यथा अधिसूचित अकादमी अभिप्रेत है ।

अनुलग्नक -क

[उप-नियम 7 देखिए]

परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र: जीएसटी विधि और प्रक्रिया	
समय:	2 घंटे और 30 मिनट
एकाधिक विकल्प प्रश्नों की संख्या:	100
प्रश्नों की भाषा:	अंग्रेजी और हिंदी
अधिकतम अंक:	200

अर्हक अंक:	100
कोई नकारात्मक अंक नहीं ।	

पाठ्यक्रम:	
1	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4	संघ राज्यक्षेत्र और सेवा कर अधिनियम, 2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6	केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7	एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8	सभी राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017
9	उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन समय समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश ।” ।

3. उक्त नियम में, नियम 109क में,

(क) उप-नियम 1 में खंड (ख) में, "अपर आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी";

(ख) उप-नियम 2 में, खंड (ख) में "अपर आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी"।

4. उक्त नियम में, नियम 142 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"142क. विद्यमान विधियों के अधीन शोध के वसूली की प्रक्रिया.- (1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग को इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में अंकित किया जाएगा ।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्हीं कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिखंडित किया जाता है तो उसका सार, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8क में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा ।

5. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में, -

(क) क्रम संख्यांक 7 के सामने, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कारबार के अंतरण, विलयन और गठन में परिवर्तन की दशा में जिसके कारण उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण के पैन विशिष्टियों में परिवर्तन हुआ है, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है।";

(ख) अनुदेश में सारणी के पश्चात् "स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में" शब्दों से शुरू होने वाले और "अभ्यपण करने की प्रभावी तारीख आती है" शब्दों से समाप्त होनेवाले पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:-

"एकमात्र स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा । नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यपण करने की प्रभावी तारीख आती है या इस प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत करें कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान (यथा, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन की तारीख तक) कोई कर योग्य प्रदाय नहीं किया गया है ।"

6. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्: --

"10. सारणी 4 क्रम 4क के सामने जानकारी नहीं दिया जाएगा ।"

7. उक्त नियम में, "भाग 2: दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न" से संबंधित प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01

(नियम 85(1) देखिए)

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर

(भाग 2 : विवरणी से संबंधित दायित्वों से भिन्न)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

संदर्भ सं0
जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी
(विधिक)

तारीख
नाम

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि..... से

स्थगन प्रास्थिति- स्थगित/अस्थगित

अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं०	तारीख	संदर्भ सं०	कर अवधि, यदि लागू हो		दायित्व उन्मोचन के लिए प्रयुक्त खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार*	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि/कुल)					
			से	तक				कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अतिशेष (देय)						
केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि /कुल)						
कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	प्रास्थिति (स्थगित/अस्थगित)
15	16	17	18	19	20	21

* [विकलन (डीआर) (देय)] / [जमा (सीआर) (संदत्त)] / कमी (आरडी) / समायोजित प्रतिदाय (आरएफ)]

टिप्पण---

1. विवरण से संबंधित दायित्वों से भिन्न, प्रोद्भूत सभी दायित्वों को इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा। संव्यवहार का पूरा वर्णन तदनुसार अभिलिखित किया जाएगा।
2. दायित्वों के लिए नकद या प्रत्यय खाते में किए गए सभी संदाय तदनुसार अभिलिखित किये जाएंगे।
3. अपील का निर्णय, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि के कारण संदेय रकम में कमी या वृद्धि को तदनुसार प्रतिबिंबित किया जाएगा।
4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आ सकते हैं यदि अपील अनुज्ञात/भागतः अनुज्ञात की जाती है। समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा।

5. विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है ,यदि अपील अनुज्ञात की जाती है, यद्यपि फिर भी, समुचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के प्रतिदाय के लिए समायोजन के अधीन रहते हुए समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा ।
6. इस भाग में अंतिम अतिशेष का, विवरणी को फाइल करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करने पर शास्ति की रकम में कमी स्वतः होगी ।
8. प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से, कारण बताओं सूचना के लिए या स्वैच्छिक रूप से किए गए किसी अन्य संदाय को, संदाय करते समय रजिस्टर में दर्शित किया जाएगा । विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि को एकसाथ सृजित किया जाएगा ।

8. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04, में क्रमांक संख्यांक 9 और उससे संबन्धित सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

“10. आई जी एस टी मांग के ब्यौरे

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7”।
	विवादित रकम					
	निर्धारित रकम					

9. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी डीआरसी 07-के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07क

[नियम 142क(1) देखें]

विद्यमान विधियों के अधीन आदेश का सारांश

निर्देश सं.

तारीख -

भाग 1 - बुनियादी विवरण		
क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	<<स्वतः>>

3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="checkbox"/> केंद्र
5.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	
6.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	
7.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	
8.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	मास, वर्ष से मास, वर्ष तक
9.	आदेश सं. (मूल)	
10.	आदेश तारीख (मूल)	
11.	नवीनतम आदेश सं.	
12.	नवीनतम आदेश तारीख	
13.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	
14.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	
15.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	
16.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
17.	रोक आदेश की तारीख	
18.	रोक की अवधि	से - तक

भाग ख – मांग का विवरण						
19.	सृजित की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में)					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय विक्री कर अधिनियम						

20.	विद्यमान विधि के अधीन संदाय की गई मांग की रकम					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय						

अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय विक्री कर अधिनियम						

21. (19-20)	प्रस्तावित की गई मांग की अतिशेष रकम जीएसटी विधि के अधीन वसूल की जाएगी << ऑटो -पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय विक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

-----नाम

_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण -

- विवरण, में घोषित की गई कर के संक्षिप्त संदाय सम्बन्धी मांग के मामले में अभिविनिश्चय/विवरण का निर्देश सं. उल्लेख किया जाएगा ।
- केवल वसूल की गई मांग को जीएसटी विधि के अधीन वसूली के लिए पोस्ट किया जाएगा। एक बार डीआरसी-07क के माध्यम से मांग सृजित की जाती है और तत्पश्चात् मांग की प्रास्थिति में परिवर्तन किया जाता है, प्रास्थिति में डीआरसी-08क के माध्यम से संशोधन किया जाएगा ।
- आदेश के सारांश को अपलोड करने की तारीख तक संदेय की गई मांग का केवल सारणी 20 में उल्लेख किया जाएगा । विद्यमान विधियों के अधीन दायित्व के विभिन्न

शीर्षों को केन्द्रीय अथवा राज्य कर के अधीन परिभाषित की गई शीर्ष के साथ-साथ रखा जाना चाहिए ।

4. नवीनतम आदेश सं. से विशिष्ट मांग के लिए सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पारित पिछला आदेश अभिप्रेत है ।

5. आदेश की प्रति, जिसमें मांग सृजित की गई है, संलग्न की जा सकती है । संदेय कर के समर्थन में दस्तावेज को भी अपलोड किया जा सकता है. यदि उपलब्ध हो ।”।

10. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी डीआरसी0-8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08क

[नियम 142क(2) देखें]

विद्यमान विधियों के अधीन सृजित किए गए सारांश का संशोधन/उपांतरण

निर्देश सं.

तारीख -

भाग क - बुनियादी ब्यौरे		
क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	<<स्वतः>>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4.	निर्देश संख्या, जिसके द्वारा मांग को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया	
5.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क की तारीख, जिसके द्वारा मांग को अपलोड किया गया	
6.	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्य क्षेत्र <input type="checkbox"/> केन्द्र <<स्वतः>>
7.	पुराना रजिस्ट्रेशन सं.	<< स्वतः, संपादन योग्य>>
8.	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
9.	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
10.	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
11.	आदेश सं. (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
12.	आदेश तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
13.	नवीनतम आदेश सं.	<<स्वतः, संपादन योग्य>>

14.	नवीनतम आदेश तारीख	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
15.	आदेश की सेवा की तारीख (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
16.	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
17.	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदाभिमान	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
18.	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
19.	रोक आदेश की तारीख	
20.	रोक की अवधि	
21.	अद्यतन के लिए कारण	<<पाठ पेटी>>

भाग ख - मांग के ब्यौरे						
22.	जीएसटी डीआरसी-07क की सारणी 21 के माध्यम से मूल रूप में पोस्ट की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में) <<स्वतः>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

23.	मांग का अद्यतन						
अधिनियम	अद्यतन का प्रकार	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मांग का रद्द किया जाना (मांग की पूर्ण रूप से समापन)						
2.	छूट की रकम, यदि कोई हो						
3.	कुल छूट (1+2)						

24. (22-23)	अपेक्षित मांग की अतिशेष रकम को जीएसटी विधि के अधीन वसूली की जाएगी << ऑटो -पॉपुलेटेड >>
----------------	---

अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम						
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)
..... नाम
_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति -

टिप्पण -

1. कटौती में विद्यमान अधिनियम के अधीन किए गए भुगतान सम्मिलित हैं। यदि कर की मांग में वृद्धि की जानी है तो प्ररूप डीआरसी-07 क के अधीन एक नई मांग की जा सकती है।
2. आदेश की प्रति, जिसकी मांग उपांतरित/परिशोधित/पुनरीक्षित/अद्यतन/अपडेट की गई है, अपलोड की जा सकती है। भुगतान दस्तावेज को भी संलग्न किया जा सकता है।
3. जीएसटी विधि के अधीन वसूल की गई रकम, जिसके अन्तर्गत दावा किए गए धनवापसी के दावे को समायोजन सहित देयता के रूप में दायित्व रजिस्टर में स्वतः अद्यतन किया जाएगा। इस तरह की वसूली के लिए इस प्ररूप में फाइल नहीं किया जाएगा।”।

[फा.सं. सीबीईसी/20/06/17/2018-जीएसटी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम

संशोधन अधिसूचना सं. 54/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा
सा.का.नि. सं. 1011(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।